

FROM : D

FAX NO. : 0522 2721153

Aug. 28 2009 6:2:40PM PT  
PK

संख्या क०नि०-२-१९८४ / घारह-२००९-९(३२)/०९

प्रेषक,

एस०ए० प्रसाद,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संज्ञा मे:

कमिशनर,  
वाणिज्य कर विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सम्बन्धित वित्त, कर एवं निवन्धन अनुभाग-२

विषय: शासनादेश संख्या-क०नि०-२-१२७७ / घारह-२००९-९(३२)/०९ दिनांक ०९.०६.२००९ द्वारा ईट भट्टा  
सीजन वर्ष २००७-२००८ मे दिनांक ०१-०१-२००८ से दिनांक ३०-०९-२००८ तक की अवधि तथा सीजन वर्ष  
२००८-२००९ मे दिनांक ०१-१०-२००८ से दिनांक ३०-०९-२००९ तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश नूत्य  
संबंधित कर अधिनियम, २००८ की धारा ६ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित  
ईटों, ईट भट्टों मे निर्मित टाइल्स, ईट के रोडों तथा सर्विस की बिक्री और ईटों के निर्माण मे प्रयुक्त कोयल  
बालू तथा लकड़ी के डुराद की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प मे  
एकमुश्त धनराशि दिए जाने से सम्बन्धित जारी समाधान योजना मे विकल्प प्रार्थना-पत्र देने एवं समाधान  
राशि जमा किये जाने के लिये अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध मे।

D.C.C.V)

२४-०७-०९  
Copy

प्रदेश के ईट निर्माता व्यापारियों के लिये सीजन वर्ष २००७-०८ (दिनांक ०१-०१-२००८ से दिनांक ३०-०९-२००८  
तक की अवधि के लिये) तथा सीजन वर्ष २००८-२००९ (दिनांक ०१-१०-२००८ से दिनांक ३०-०९-२००९ तक की अवधि)  
इे लिये उत्तर प्रदेश मूत्य स्वर्द्धित कर अधिनियम, २००८ की धारा ६ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों  
द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों मे निर्मित टाइल्स, ईट के रोडों तथा सर्विस की बिक्री और ईटों के निर्माण मे प्रयुक्त कोयल,  
बालू तथा लकड़ी के डुराद की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प मे एकमुश्त  
धनराशि दिए जाने से सम्बन्धित समाधान योजना के विषय मे शासनादेश संख्या-क०नि०-२-१२७७ / घारह-२००९-  
९(३२)/०९ दिनांक ०९.०६.२००९ जारी किया गया है।

२- सम्पर्क विद्यारोपणात्त राजस्व हित मे शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ईट निर्माताओं को अवसर प्रदान  
करते हुए सीजन वर्ष २००७-०८ मे दिनांक ०१-०१-२००८ से दिनांक ३०-०९-२००८ तक की अवधि के लिये तथा सीजन  
वर्ष २००८-२००९ मे दिनांक ०१-१०-२००८ से दिनांक ३०-०९-२००९ तक को अवधि के लिये जारी समाधान योजना मे  
शासनादेश विकल्प प्रार्थना-पत्र देने एवं समाधान राशि जमा किये जाने के लिये अवधि ददार्ह जाय। शासनादेश  
संख्या-क०नि०-२-१२७७ / घारह-२००९-९(३२)/०९ दिनांक ०९.०६.२००९ के अनुसार जो ईट निर्माता व्यापारी समाधान  
योजना अपनाने के लिये आई है, वे अपना विकल्प प्रार्थना-पत्र निर्धारित समस्त समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण  
के साथ, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समस्त इस शासनादेश की तिथि से २५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

३- कृपया तदनुसार कर्यवाही कराने का कष्ट करें तथा समाधान योजना विषयक समय बढ़ाये जाने का व्यापक  
प्रचार व प्रसार करने का कष्ट करें। इस अवधि मे समाधान योजना मे प्राप्त धनराशि के आकड़े भी यथासमय शासन को  
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भूतीय,

(एस०ए० प्रसाद)

विशेष सचिव। / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अगस्त, २४ , २००९

प्रतिलिपि:- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१ वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, को उपरोक्त पत्र की प्रति  
इस आशय से प्रेषित कि इसकी पर्याप्त मात्रा मे प्रतियों कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ व्यापारी  
संघों/अधीकरता संघों को अवगत कराए तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें इसके  
अतिरिक्त भट्टा समाधान योजना के संबंध मे पूर्व निर्धारित प्रारूप मे प्राप्त धनराशि के आकड़े भी दिनांक  
२२.०९.०९ तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

१४४४०९०१

(वाई०एस०सिंह)

ज्वाइन्ट कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।